सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 521
12/07/2017

तीन लोक सूचना पदाधिकारी को लगा 25–25 हजार रु0 का आर्थिक दण्ड

पटना–12 जुलाई, 2017 :– राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार राज्य सूचना आयुक्त श्री बी0के0 वर्मा ने वाद सं0–98879/13–14, वाद सं0–78064/12–13 एवं वाद सं0–98929/13–14 में तीन लोक सूचना पदाधिकारियों को आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त ने क्रमशः प्रथम मामले में आवेदक श्रीकांत कुमार, द्वितीय मामले में आवेदक श्री रामझुलन उपाध्याय तथा तृतीय मामले में आवेदक श्री विनय कुमार सिन्हा को ससमय सूचना नहीं देने तथा आयोग द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना करने के एवज में तीनों लोक सूचना पदाधिकारियों को 25–25 हजार रु0 आर्थिक दण्ड निर्धारित किया हैं। पहले मामले में लोक सूचना पदाधिकारी–सह– अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी, खगड़िया को, दूसरे मामले में लोक सूचना पदाधिकारी–सह– कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, हलसी, लखीसराय को एवं तीसरे मामले में लोक सूचना पदाधिकारी–सह– अंचलाधिकारी, पूर्णिया को क्रमशः 25–25 (पचीस–पचीस) हजार रु0 का आर्थिक दण्ड लगाते हुए राशि की कटौती हेतु संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी को फैसले की कॉपी प्रेषित की गई है। साथ ही यह भी सूचना दी गई है कि आर्थिक दण्ड की कटौती कर इस आशय की सूचना से आयोग को भी आवगत कराया जाय।

ज्ञातव्य है कि उक्त तीनों मामलों की सुनवाई आयोग कार्यालय में होगी। प्रथम एवं तृतीय मामले की सुनवाई दिनांक–16.11.2017 को साढ़े दस बजे एवं द्वतीय मामले की सुनवाई 18 अगस्त, 2017 को ढाई बजे सूचना आयोग के कार्यालय में होगी।

******